न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतन लाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0––25/2019
प्रविष्टि दिनांक ––28.3.2019
निर्णय दिनांक––30.1.2020

उनवान

1. प्रभूलाल पुत्र किशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम खलीलपुरा पापडा, तहसील व जिला टोंक

बनाम प्रार्थी

1. केदार पुत्र स्व0 घासीदास जाति बाबाजी निवासी ग्राम ऊटीटाणा, तहसील व जिला टोंक
2. दिनेश पुत्र स्व0 घासीदास जाति बाबाजी निवासी ग्राम ऊटीटाणा, तहसील व जिला टोंक
3. लादू पुत्र किशन जाति गुर्जर निवासी ग्राम खलीलपुरा पापडा, तहसील व जिला टोंक
4. तहसीलदार टोंक, जिला टोंक
5. उप पंजीयक टोंक

उपस्थित–श्री योगेश व्यास–अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थीगण–प्रतिपक्षीगण
श्री सीताराम विजय– अभिभाषक अप्रार्थीगण

वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

प्रार्थनापत्र बाबत–अस्थाई निषेधाज्ञा

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता प्रार्थीगण वादीगण ने अपने वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा के साथ प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार भूमि ख.न. 191 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व ख.न. 191/380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक मे स्थित है। उक्त आराजी के साबिक ख.न. 211 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा है। उक्त आराजी वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड अनुसार घासीदास पुत्र कालूदास बाबाजी निवासी उटीटाणा तहसील टोंक की गैर खातेदारी मे है। उक्त आराजी पर घासीदास को आंवटन होने से पूर्व से ही प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस लिए घासीदास ने उक्त आराजी के ख.न. 191 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा सम्पूर्ण व ख.न. 191/380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मे से 12 बिस्वा कुल 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 29.5.2015 को ही प्रार्थी के हक मे बेचान कर दी। इकरारनामा स्टाम्प पर नोटेरी से तस्दीक करवाया हुआ है। उक्त इकरारनामे के अनुसार प्रतिपक्षीगण सं0 1 व 2 के पिता द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे रजिस्ट्री करवाने का तय हुआ था। लेकिन कुछ समय वाद ही घासीदास की मृत्यु हो गई। प्रार्थी का उक्त आराजी पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चला आ रहा है। घासी की मृत्यु के बाद प्रतिपक्षीगण की नियत मे बेइमानी आ गई है और अब प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 प्रतिपक्षी सं0 3 से मिलकर प्रार्थी के कब्जेकाश्त से जबरन बेदखल करने तथा रहन, दान बेचान करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद निर्णय तक पाबन्द किया जावे कि भूमि ख.न. 191 रककवा 3 बीघा 13 बिस्वा व ख.न. 191/380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक से प्रार्थी को बेदखल नही करे, भूमि को खुर्दबुर्द नही करे, भूमि का रहन दान बेचान अथवा किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण नही करे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

प्रार्थनापत्र दर्ज कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रार्थनापत्र अस्वीकार है। भूमि ख.न. 191 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व ख.न. 191/380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 के पिता की खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 के पिता घासीदास की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 घासीदास के वारीसान होने से उक्त भूमि को कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा कथित इकरारनामा फर्ज व बनावटी है तथा विक्रय करना गलत है इकरारनामा अनरजिस्टर्ड व ड्युली स्टाम्पड नही है जो साक्ष्य मे ग्राह्य नही है। प्रार्थी ने इकरारनामा अपने पक्ष मे रजिस्टर्ड करवाने के लिए सिविल न्यायालय मे

Scanned by CamScanner

वाद दायर नही किया जिससे स्पष्ट है कि इकरारनामा फर्जी है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा नही है तो बेदखल करने का प्रश्न ही नही उठता है। प्रतिपक्षी सं0 1 व 2 गैर खातेदार हैं उनकी भूमि पर प्रार्थी को कब्जा करने का अधिकार नही है। प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे इकरारनामा , मौका पर्चा, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गयें।

प्रकरण मे विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने अपने–अपने कथनो को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

हमने प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं अभिभाषक उभय पक्ष बहस पर मनन किया। बेचान संबंधी तथ्यो का निर्णय, साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर वाद निर्णय के समय तय किये जावेंगें। सर्व प्रथम तो पत्रावली पर विवादित भूमि से संबंधित जमाबंदी ही उपलब्ध नही है जिससे प्रार्थनापत्र का प्रथम चरण साबित हो। जमाबंदी के अभाव मे यह तय करना संभव नही है कि भूमि किसके नाम है, इसलिए प्रार्थनापत्र के प्रथम चरण मे अंकित तथ्य की पुष्टी मे पत्रावली पर खातेदारी संबंधी विवरण उपलब्ध नही होने के कारण पृथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नही होता है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे यह भी अंकित किया है कि उसका उक्त विवादित भूमि पर पिछले 50 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन प्रार्थी ने एक वर्ष की कब्जा काश्त संबधी साक्ष्य प्रस्तुत नही किये। खसरा गिरदावरी के अभाव मे प्रार्थी के इस कथन की पुष्टी नही होती है। जब प्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा ही नही है तो प्रार्थी को किस प्रकार असुविधा हो सकती है। अतः सुविधा का संतुलन का घटक भी प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही है।

साथ ही प्रार्थी द्वारा तथा कथित इकरार नामा भी रजिस्टर्ड नही है मात्र नोटेरी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अनरजिस्टर्ड दस्तोवज के आधार पर खातेदारी अधिकारो मे परिवर्तन नही किया जा सकता है और ना ही अनरजिस्टर्ड दस्तावेज को न्यायालय साक्ष्य मे ग्राह्य कर सकता है। यहा तक कि इकरारनामे मे अंकित गवाह भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये जिससे कि इकरारनामे की तनिक भी पुष्टी हो सकती हो। पत्रावली पर उपलब्ध मौका पर्चा मे अंकितानुसार पूर्व मे उक्त भूमि सिवायचक है तथा जिमन नं0 1 मे दर्ज है। इस प्रकार वर्तमान मे भी भूमि सरकारी है मौका पर्चा अनुसार लोगो द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि पर प्रभू पुत्र किशन द्वारा की गई है। इस तथ्य से तो प्रार्थी ही सरकारी भूमि पर अतिक्रमी के रूप मे है जो काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार दोषी है। यदि मान भी लिया जावे कि भूमि गैर खातेदारी मे है तो भी उक्त काश्त आधोली, पटटा , ठेका आदि किसी भी रूप मे हो सकती है। पिछले 50 वर्षो से उसका कब्जा होने बाबत कोइ सरकारी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है। जब पृथम दृष्टया प्रार्थी का उक्त विवादित भूमि से कोई संबधं प्रतीत नही होता है तो अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष मे नही है। इस प्रकार प्रार्थनापत्र के तीनो घटक प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत नही होते है। चूंकि प्रार्थी द्वारा स्वयं ही अंकित किया है उक्त विवादित भूमि गैर खातेदारी की है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैरखातेदारी की भूमि का खातेदारी प्राप्त होने से पूर्व बेचान नही किया जा सकता है। इस प्रकार प्रार्थी के कथन स्वतः ही झूठे प्रतीत हो रहा है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे अंकित किये किसी चरण को साक्ष्य गवाहो से साबित नही किया हैं जबकि अपने प्रार्थनापत्र को ठोस साक्ष्यों व दस्तावेजो से साबित करने का भार प्रार्थी पर था। प्रार्थनापत्र मनगढन्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण यह प्रार्थनापत्र स्वीकार करना न्यायालय उचित नही समझता है। अतः यह प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

आदेश

फलतः प्रार्थनापत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भूमि ख.न. 191 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा व ख.न. 191/380 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम खलीलपुरा पापडा तहसील टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव होने के कारण व विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर, मूल वाद मे शामिल हो।

निर्णय आज **दिनांक 30.1.2020** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned by CamScanner